

(नियम 26)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
 जिला- बुन्दी (राज.)
 मेरुपाष्य
 न. 70/4वा/2
 कदरी शशी
 सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स त्रज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

13-7-21

नाम पत्र/समर्पण पत्र अन्तर्गत धारा 188 RT Act
 द्वारा वकील श्री महेश योगी पेश किया गया।
 रिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर
 प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 23.9.21
 को पेश हो।

प्रशासन गांवों के
 संग अभियान 2021
 केम्प कोर्ट
 नोटिस जारी

23/9/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
 2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 22/10/21
 को पेश हो।

वादी withdrawl
 रुवाना चाहता है

22/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के
 तहत केम्प कोर्ट मंश में आज पेश हुई। वादी
 भैरुलाल उपस्थित हैं। वादी ने अपना वाद विद्वै
 करने हेतु निवेदन किया। वादी की याचना
 स्वीकार की जाती है। वादी का वाद विद्वै
 किये जाने से खारिज किया जाता है।
 निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील
 दारिखल' दफ्तर हो।



वादी भैरुलाल

उपखण्ड अधिकारी
 नैनवाँ (बुन्दी)

